न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर राज0

बईजलास पीठासीन अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार (आर0ए0एस)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू।

वाद पत्र संख्या निर्णय दिनांक

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

उनवान

1. ठा0 गोपालदास पुत्र स्व0 ठा0 मानदाता सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर।
2. रानी ब्रजराज कुमारी पुत्री स्व0 ठा0 मानदाता सिह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर जरिये मुख्त्यारआम ठा0 गोपालदास पुत्र स्व0 ठा0 मानदाता सिंह
3. रानी देवेश्वरी पुत्री स्व0 ठा0 मानदाता सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर जरिये मुख्त्यारआम ठा0 गोपालदास पुत्र स्व0 ठा0 मानदाता सिंह
4. रानी माधवी पुत्री स्व0 ठा0 मानदाता सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर जरिये मुख्त्यारआम ठा0 गोपालदास पुत्र स्व0 ठा0 मानदाता सिंह

—वादी—

बनाम

1. ठा0 योगेशवर सिंह पुत्र स्व0 ठा0 मानदाता सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
2. ठुकरानी ज्योति कुमार पत्नी स्व0 ठा0 विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
3. ठा0 नारायण सिंह पुत्र स्व0 ठा0 विजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
4. ठुकरानी मधुवासुदेव पत्नी स्व0 ठा0 वासुदेव सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
5. यामिनी सिंह पुत्री स्व0 ठा0 वासुदेव सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
6. अदिती पुत्र स्व0 ठा0 वासुदेव सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
7. अचला वासुदेव पुत्री स्व0 ठा0 वासुदेव सिंह जाति राजपूत निवासी गीजगढ हाउस जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादी——

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किय गया कि

1. वादी संख्या 1 गोपालदास वादी संख्या 1 ता 3 का मुख्त्यारआम है इस कारण स्वयं के साथ–साथ वादी संख्या 1 ता 3 की ओर से उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम हैं।

2. यह कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 186 जिसके खसरा नम्बर 2601/4041 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3208/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3262/4151 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3265 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3279/3999 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3281 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3378 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3379 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3380 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3381 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3410 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3411 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3412 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3413 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3414 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3415 रकबा 0.01 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 3416 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3417 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3419 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3420 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3421 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3422 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3423 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3424 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3425 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3426 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3427/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3428 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3429/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3430/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3431 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3433 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा

नम्बर 3434 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3453/4001 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3454/4002 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3455 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3458/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3587 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3597 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3599 रकबा 0.34 हैक्टेयर, कुल किता 42 रकबा 2.60 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 187 जिसके खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 एवं खाता संख्या 367 जिसके खसरा नम्बर 3448/4042 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3597/4045 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3600/4165 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3601/4170 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3629/4179 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3659 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3669 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3672 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3675 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3676 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3709 रकबा 0.06 कुल किता 16 कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर, खाता संख्या 624 जिसके खसरा नम्बर 3263/1 रकबा 0.80 खसरा नम्बर 3264/1 रकबा 0.22 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हैक्टयेर जो वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जो कि वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसका इन्द्राज वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के माता एवं पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है उक्त भूमि ही उक्त वाद में वादग्रस्त है।

3. वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

मांजी परिहार पत्नी ठा0 कुशाल सिंह

स्व0 ठा0 मानदाता सिंह

ठुकरानी स्व0 हर्षेन्द्र कुमारी चौहान

ठा. वासुदेव ठा0 योगेश्वर सिंह, ठा0 विजेन्द्र सिंह, ठा0 गोपालदास बृजराजकुमारी देवश्वरी माधवी

मधु वासुदेव ज्योति कुमारी

यामिनी अदिती अंचला नारायण सिंह

4. वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पैतृक सम्पत्ति है जो कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के माता–पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण के भाई स्व0 विजेन्द्र सिंह की पत्नी एवं पुत्र है प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण के स्व0 भाई वासुदेव की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादीगण के भाई वासुदेव की पुत्रियां है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अलग–अलग 1/7 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का अपने पति व पिता स्व0 विजेन्द्र सिंह के 1/7 हिस्से में से दर हिस्सा 1/2 निहित है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादीगण के भाई वासुदेव के 1/7 हिस्से की भूमि में दर हिस्सा 1/4 निहित है। इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है और इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने माता – पिता के उत्ताधिकारी है। जिन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होता है।

5. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के माता एवं पिता का निधन हो चुका है परन्तु उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम नही खोला जा सका चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कमाने–खाने के लिए बाहर रहते थे तथा माह जुलाई 2015 में अपने उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु राजस्व कर्मचारियों को लिखित में निवेदन किया गया तो उनके द्वारा वादीगणस का राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खोले जाने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने हेतु कहा गया। इस कारण वादीगण के लिए उक्त वाद प्रस्तुत कर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना अनिवार्य हुआ।

6. दावा हाजा के लिए वाद कारण दिनांक 20.12.2015 एवं दिनांक 10.03. 2016 को उत्पन्न हुआ जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही किये जाने से इंकार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

7. प्रतिवादी संख्या 8 भू–धारक है जिसे प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि :–

क) वादीगण को वादग्रस्त भूमि वर्णित मद संख्या 2 का 1/7 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक को अलग–अलग 1/7, 1/7 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 को संयुक्त रूप से 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार

काश्तकार घोषित किया जावे एव इस आशय का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अमलदरामत किया जावे।

ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के 1/7 हिस्से के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

दावा वादी जरिये मुख्त्यार आप के द्वारा दिनांक 13.04.2016 को वकील वादी द्वारा पेश किया गया तो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई तो दिनांक 16.05.2016 को वादी वकील व वादीगण प्रतिवादी हाजीर आये व राजीनामा पेश किया गया जो राजीनामा इस प्रकार पेश किया कि :–

1. उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है राजीनामें के अनुार वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 186 जिसके खसरा नम्बर 2601/4041 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3208/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3262/4151 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3265 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3279/3999 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3281 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3378 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3379 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3380 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3381 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3410 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3411 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3412 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3413 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3414 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3415 रकबा 0.01 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 3416 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3417 रकबा 0.10 हैक्टेयर,

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3675 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3676 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3709 रकबा 0.06 कुल किता 16 कुल रकबा 3.54 हैक्टेयर, खाता संख्या 624 जिसके खसरा नम्बर 3263/1 रकबा 0.80 खसरा नम्बर 3264/1 रकबा 0.22 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हैक्टयेर जो वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जो कि वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसका इन्द्राज वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के माता एवं पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

2. वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की पैतृक सम्पत्ति है जो कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के माता–पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण के भाई स्व0 विजेन्द्र सिंह की पत्नी एवं पुत्र है प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण के स्व0 भाई वासुदेव की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादीगण के भाई वासुदेव की पुत्रियां है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का अलग–अलग 1/7 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का अपने पति व पिता स्व0 विजेन्द्र सिंह के 1/7 हिस्से में से दर हिस्सा 1/2 निहित है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादीगण के भाई वासुदेव के 1/7 हिस्से की भूमि में दर हिस्सा 1/4 निहित है। इस प्रकार उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है।

3. अब वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। राजीनामें के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि जिसका विवरण वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित किया गया है में वादीगण को

खसरा नम्बर 3418 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3419 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3420 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3421 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3422 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3423 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3424 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3425 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3426 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3427/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3428 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3429/1 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3430/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3431 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3433 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3434 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3453/4001 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3454/4002 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3455 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3458/1 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3587 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3597 रकबा 0.80 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3599 रकबा 0.34 हैक्टेयर, कुल किता 42 रकबा 2.60 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 187 जिसके खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 एवं खाता संख्या 367 जिसके खसरा नम्बर 3448/4042 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3572 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3597/4045 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3600/4165 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3601/4170 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3629/4179 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3654 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3655 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3657 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3659 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3669 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3672 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3674 रकबा 0.46

1/7 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 1 प्रत्येक को अलग-अलग 1/7 1/7 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 को संयुक्त रूप से 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इस आशय का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामत किया जावे। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को वाद राजीनामें के अनुसार डिक्री किया जावे।

राजीनामा पेश होने पर शामिल पत्रावली किया जाकर वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में साया नोटिस एवं आमंत्रण नोटिस राजस्थान पत्रिका में साया करवाया गया व तहसील को नोटिस की प्रति भेजकर दावा का पैरावाईज जवाब मंगवाया गया तो दिनांक 28.06.2016 को नोटिस साया करवाये जाने पर अप्रार्थी संख्या 12 से 19 की तरफ प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 का पेश हुआ जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधन लिया जाकर जवाब दावा हेतु पत्रावली नियत की गई तो प्रतिवादी संख्या 12 से 19 का जवाब दावा पेश हुआ जो इस प्रकार हैः-

1. वादपत्र का पैरा नम्बर 1 स्वीकार नही है।

2. वादपत्र का पैरा नम्बर 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नही है। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 186 खसरा नम्बर 2601/4041 , 3208/1 , 3262/4151 , 3265 , 3279/3999 , 3281 , 3378, लगायत 3381 , 3410 लगायत 3426 , 3427/1 , 3428 , 3429/1 , 3430/1 , 3431 लगायत 3434 3453/4001 , 3454/4002 , 3455 , 3458/1 , 3587 , 3597 , 3599 किता 42 कुल रकबा 8.60 है0 एवं खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर (जोधपुर)

187 खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 367 खसरा नम्बर 3448/4042, 3572, 3597/4045, 3600/4165, 3601/4170, 3629/4179, 3654, 3655, 3657, 3659, 3669, 3672, 3674 लगायत 3676, 3709 किता 16 कुल रकबा 3.54, है0 एवं खाता संख्या 624 खसरा नम्बर 3263/1, 3264/1 किता 2 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम तीतरिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि नही है। वादग्रस्त आराजी में से 5 बीघा भूमि पूर्व खातेदार ठुकरानी जी चौहान धर्म पत्नी श्री मान्धाता सिंह ने मुझ प्रतिवादी संख्या 13 गजानंद को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1972 को बेचान कर दी थी। तभी से उक्त भूमि पर में प्रतिवादी काबिज, काश्त चला आ रहा हूँ। यह कि वादग्रस्त आराजी में से 3 बीघा भूमि पूर्व खातेदार ठुकरानी जी चौहान धर्म पत्नी श्री मान्धाता सिंह ने मुझ प्रतिवादी संख्या 12 नानगी देवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1972 को बेचान कर दी थी। तभी से उक्त भूमि पर में प्रतिवादी काबिज, काश्त चली आ रही हूँ। वादग्रस्त आराजी में से 10 बीघा भूमि पूर्व खातेदार, ठुकरानी जी चौहान धर्म पत्नी श्री मान्धाता सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.08.1972 को हम प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 के पिता बंशीधर को एवं हम प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 19 के पिता भगवान सहाय को बहिस्सा बराबर–बराबर बेचान कर दी थी। तभी से उक्त भूमि पर हमारे पिता बंशीधर एवं भगवानसहाय काबिज, काश्त चले आ रहे थे, उनके स्वर्गवास के बाद हम प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 19 वादग्रस्त आराजी पर काबिज, काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि के बेचान के दिन से ही ठुकरानी जी चोहान के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाते है एवं हम प्रतिवादी गण को खातेदारी के

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अधिकार प्राप्त हो जाते है। उक्त वादग्रस्त आराजी संपूर्ण का बेचान ठुकरानी जी चौहान हम प्रतिवादीगण के अलावा अन्य लोगो को भी कर चुकी हैं। वादग्रस्त आराजी का इन्द्राज वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता एवं पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में नही है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार कभी भी मान्धाता सिंह एवं मांजी पनिहार नही थी।

3. वाद पत्र के पैरा नम्बर 3 में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 ठकुरानी जी के वारिस नही है।

4. वादपत्र का पैरा नम्बर 4 स्वीकार नही है। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की पैतृक संपति नही है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता एवं पिता के नाम नही है। बाकि इबारत जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ठुकरानी जी चौहान के वारिस नही है।

5. वादपत्र का पैरा नम्बर 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नही है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के माता – पिता का निधन कब हुआ, जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है। वैसे निधन हुये काफी लंबा समय हो चुका है। उक्त वादीण्गा एवं प्रतिवादीगण इनके वारिस नही होने के कारण इनके नाम नामान्तकरण नही खोला गया। वादीण्गा एवं प्रतिवादीगण कहां निवास करते हे, जानकारी के अभाव में स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड खींवसर (नागौर)

नहीं है। माह जुलाई 2015 में विरासत का नामान्तकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हक में राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिखित में निवेदन करने भी इसलिये नही खोला गया क्योंकि ये ठुकरानी जी चौहान के वारिस नही है। अगत नामान्तकरण नही खोला तो इसकी अपील वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 मान्य न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ करते। मान्य न्यायालय नामान्तकरण की कार्यवाही के लिये अपीलेंट न्यायालय नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 गायत 7 आपस में खातेदारी घोषण करवाने के अधिकारी नही है। क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 नामान्तकरण खुलवाने की प्रार्थना श्रीमान भू – अभिलेख अधिकारी तहसीलदार जी के यहां कर चुके है। इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 आपस में खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नही है।

6. वादपत्र का पैरा नंबर 6 स्वीकार नही है। दिनांक 20.12.2015 एवं दिनांक 10.03.2016 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तकरण नही खोलने से वादीगण को कोई वादकारण पैदा नही होता है।

7. वादपत्र का पैरा नंम्बर 7 स्वीकार नही है। उक्त प्रकरण में सरकार प्रर्फोमा पक्षकार नही है, बल्कि आवश्यक पक्षकार है। क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने आपस मे काल्यूजैन करके दावा पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

8. वादपत्र का पैरा नम्बर 8 स्वीकार नही हैं उक्त दावे की प्लीडिंग्स से उक्त प्रकरण की सुनवाई का अधिकार मान्य न्यायालय को नही है। बल्कि श्रीमान ज़िला कलक्टर साहब के न्यायालय को है।

9. वादपत्र का पैरा नम्बर 9 कानूनी होने के कारण जवाब मोहताज नही है।

10. वादपत्र का पैरा नम्बर 10 स्वीकार नही है। दावा मियाद बाहर पेश किया गया है।

विशेष विवरण

1. वादी ठाकुर गोपालदास नें बिना कोई प्रार्थना पत्र पेश किये एवं मान्य न्यायालय के आदेश के बिना वादी संख्या 2 लगायत 4 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के स्थान पर अंकित कर दिया। इस प्रकार वादी संख्या 2 रानी ब्रजराज कुमारी, वादी संख्या 3 देवेश्वरी कुमारी एवं वादी संख्या 4 रानी माधवी को, प्रतिवादी संख्या 2 लगातय 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार पहले वादी संख्या 1 लगायत 4 थे, अब वादी अकेला ठाकुर गोपालदास रह गया, जो इनके वादपत्र एवं दिनांक 25.01.2017 को पेश किये गये संशोधित उनवान से स्पष्ट है, इस प्रकार वादी का उक्त कृत्य मान्य न्यायालय को एवं हम प्रतिवादीगणों को धोखा देने की नीयत से किया गया है। जो भा0 द0 सं0 की पृथक से फौजदारी कार्यवाही एवं धारा 340 दं0 प्र0 सं0 के तहत वादी के विरूद्ध कार्यवाही करेंगें। वादी नीट एण्ड क्लीन हैण्ड से दावा लेकर नही आया है। जमीनों के भाव बढ जाने के कारण हम भोले भाले काश्तकार

की जमीन हड़पने की कुचेष्टा रखता है। इसलिये वादी का वाद मेंटेनेबल नही है।

2. प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 19 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर अपने–अपने खातेदारी घोषणा के तीन प्रथक प्रथक वाद उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में इन्ही पक्षकारों के विरूद्ध क्रमशः उनवानी '' गजानंद बनाम ठकुरानी जी चौहान,'' हनुमान सहाय बनाम ठुकरानी जी चौहान'' एवं '' नानगी बनाम ठुकरानी जी चौहान '' के नाम से मान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर रखे है, जो विचाराधीन है एवं पूर्ववती वादी है। यह वाद पश्चातवर्ती वादी है। इसलिये इन तीनों दावों के निर्णय तक उक्त वादी की कार्यवाही को स्थगित किया जाा न्यायहित में अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जा– खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

जवाब दावा पेश होने पर जवाब सरकार पेश हुआ तो इस प्रकार जवाब सरकार पेश हुआ किः–

भू अभिलेख निरीक्षणक तीतरिया, पटवारी हल्का तीतरिया व पटवारी हल्का देवकिशनपुरा की संयुक्त टीम ने रिकार्ड व मौके की जांच कर नियमानुसार रिपोर्ट पेश की है, के आधार पर रिकार्ड व मौका की जांच रिपोर्ट सादर प्रेषित है :–

1. ग्रम तीतरिया की जमाबन्दी खाता संख्या 186 किता 43 रकबा 7.59 हैक्टेयर ठुकरानी जी चौहान जी धर्मपत्नि मानदाता सिंह कौम राजपूत सा0 गीज गढ हाउस जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 367

किता 16 रकबा 3.54 हैक्टेयर माजी परिहार जी माता ठाकुर मानदाता सिंह व खाता संख्या 624 किता 2 रकबा 1.02 है0. ठुकरानी जी चौहान जी धर्मपत्नि मानदाता सिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है।

2. उक्त तीनों खातो की भूमि के कब्जे काश्त के बारे में मौके पर जानकारी करने पर उनके द्वारा बंताया गया कि खसरा नम्बर 3417 व 3434 पर हनुमान सहाय, बजरंगलाल, गणेश नारायण पिता बंशीधर हिस्सा 1/2 कौम बागडा ब्रहम्ण सा0 देह खसरा नम्बर 3587, 3597, 3599 पर प्रहलाद पुत्र ईश्वरलाल कौम बागडा ब्रहम्ण सा0 देह खसरा नम्बर 3263/1, 3264/1 पर गजानन्द पुत्र भौरीलाल जाति रैगर सा0 देह खसरा नम्बर 3657, 3659, 3569, 3672, 3674, 3675, 3676, 3709 पर नन्दा पुत्र कलयाण व शंकर पुत्र नारायण गोस्वामी सा0 देह का कब्जा काश्त करना बताया गया । उक्त भूमि उक्त काश्तकारों के पूर्वजों/स्वयं के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया जाना बताया गया।

3. उक्त भूमि के अलावा लगभग 25 बीघा जमीन पर दीगर व्यक्तियों द्वारा काश्त किया जाना बताया है।

जवाब सरकार पेश होने पर प्रार्थना पत्र जवाब सरकार व जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 12से 19 के पूर्व में वादग्रस्त भूमि में से केताओं की गयी भूमि को अलग करने हेतु प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का पेश हुआ जो जबाब प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का स्वीकार किया जाकर संशोधन बाद पेश हुआ, संशोधन वाद पेश होने पर वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में चाही गई राहत को अलग किये जाने व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वाद पेश किये जा चुके है, डिक्री किये जाने व वाद संख्या नन्दा बनाम ठुकरानी की भूमि को अलग छोड देने से शेष बची जमीन

का संशोधन पेश होने पर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी। वकील वादी ने दौराने बहस दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अंकित है, जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के माता –पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जो वादीगण व प्रतिवादीगण अपने माता–पिता के उत्तराधिकारी है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण के माता –पिता का स्वर्गवास हो चुका है, किन्तु विरासत का नामान्तकरण नही खोला गया। नामान्तकरण विरासत का नही खोले जाने से वादीगण को दावा घोषणा का लाना पडा जिसे डिक्री फरमाया जावे वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस जवाब दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पहिले मांजी परिहार जी द्वारा बेचान की जा चुकी है। बेचान शुदा भूमि को अलग करते हुये शेष बची भूमि का वादीगण के हक में निर्णय किया गया है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वादीगण ने दावे के समर्थन में ग्राम तीतरिया की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 186, 387, 624 पंचायत द्वारा जारी सजरा विरासत का नामान्तकरण खोलने का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र गोपालदास मुख्तारआम ब्रजराज कुमारी, मुख्तारनामा माधवी कुमारी, देवेश्वरी कुमारी, अदिती वासुदेव, ज्योति कुमारी, अचला वासूदेव, यामिनी वासूदेव पहचान –पत्र यामिनी सिंह, अचला वासुदेव, आधारकार्ड ज्योति कुमारी आधारकार्ड देवेश्वरी, व अन्य दस्तावेज बतार सबूत पेश किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया व राजीनामा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि

वाके ग्राम तीतरिया में स्थित है जो वादीगण की पैतृक भूमि जिसके वादीगण एवम प्रतिवादीगण के माता–पिता द्वारा छोडी गयी भूमि है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा छोडे जाने एवं वादीगण के माता – पिता का स्वर्गवास का होने व विरासत का नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा नही खोले जाने से दावा वादीगण द्वारा घोषणा का दिनांक 13.04.16 को पेश किया जिसमें लोक अदालत की भावना से दिनांक 16.05.2016 को मध्य राजीनामा होने पर राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पेश होने पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में उक्त नोटिस राजस्थान पत्रिका में साया करवाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम तीतरिया तहसील चाकसू में स्थित है जिस बाबत, न्यायालय में घोषणा का वाद उनवानी ठा0 गोपालदास वगै0 बनाम ठा0 योगेश्वर द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो एक माह में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त नोटिस को अखबार में साया किये जाने के बाद दिनांक 28.06.2016 को प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 का पेश हुआ जो 28.06.2016 को ही प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 12 से 19 को पक्षकार बनाया जाकर जवाब दावा लिया गया तो उक्त जवाब दावे के संबंध में वादी वकील ने प्रार्थना पत्र 151 का पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के मध्य राजीनामा हो चुका है। एवं उक्त प्रतिवादी द्वारा पूर्व में विक्रय पत्र अपने हक में वादग्रस्त आंराजी का निष्पादन होने का कथन किया है उक्त विक्रय पत्र वादी के पूर्वज ठुकरानी चौहान मांजी परिहार द्वारा किया जाना बताया है, उन विक्रय पत्र में अंकित भूमि छोडकर शेष भूमि का खातेदार काश्तकार राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जिसकी पालना में दावे में विक्रय शुदा भूमि को अलग किये जाने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

का प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का पेश होने पर प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का पेश होने पर प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का स्वीकार किया जाकर पूर्व में बेचान शुदा जमीन जवाब सरकार व जवाब दावे अंकित अनुसार अलग की जाकर संशोधित वाद लिया गया। संशोधित वाद में अंकित भूमि बेचान शुदा भूमि को छोडकर अंकित की गई है, शेष भूमि के संबंध में भी फ़र्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा मौके पर दीगर व्यक्तियों का कब्जा बताया एवं खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 है0 स्कूल होना अंकित किया गया है। इस प्रकार संशोधित वाद में अंकित भमि में खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 हैक्टेयर स्कूल होने से उक्त रकबा छोडा जाकर शेष भूमि वादीगण की पैतृक भूमि खातेदारी की एवं पूर्वजो द्वारा छोडी हुयी भूमि है जिस पर वादीगण का हिन्दु उत्ताधिकारी अधिकार अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार पाने के हकदार हाने से दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 186 खसरा नम्बर 2601/4041 , 3208/1, 3262/4151 , 3265 , 3279/3999 , 3281 , 3378, लगायत 3381, 3410 लगायत 3426 , 3427/1 , 3428 , 3429/1 , 3430/1 , 3431 लगायत 3434 3453/4001 , 3454/4002 , 3455 , 3458/1 , 3587 , 3597 , 3599 किता 42 कुल रकबा 8.60 है0 एवं खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 367 खसरा नम्बर 3448/4042 , 3572 , 3597/4045 , 3600/4165, 3601/4170 , 3629/4179 , 3654 , 3655 , 3657 , 3659 , 3669 , 3672 , 3674 लगायत 3676 , 3709 किता 16 कुल रकबा 3.54, है0 एवं खाता संख्या 624 खसरा नम्बर 3263/1 , 3264/1 किता 2 रकबा 1.02 है0 वाके

ग्राम तीतरिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर में से खाता संख्या 187 खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.31 हैक्टयर भूमि स्कूल की छोडकर शेष भूमि खाता संख्या 186, 367, 624 में अंकित खसरा नम्बरान की भूमि मुताबिक राजीनामा विरासत अनुसार वादीगण को 1/7 हिस्से प्रतिवादी संख्या 1 को 1/7 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संयुक्त रूप से 1/7, 1/7 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को संयुक्त रूप से 1/7, 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में भी अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू